

R 138-I-17

221

श्री व्यक्ति
द्वारा आज दि. 10/1/17 को
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल नि.प्र. ग्वालियर

समाप्त मातृलीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. / /

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने यावत्।
पक्षकार/पुनरीक्षणकर्ता - लटोरीलाल धुर्वे पिता छोटेलाल धुर्वे उम्र 44 साल
निवासी 26 ग्राम मुकनवारा, घाटपिपरिया तहसील व जिला
जबलपुर।

विरुद्ध

अनावेदक/गैर पुनरीक्षणकर्ता - 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर
2. श्री अयोध्या प्रसाद सतनामी पिता स्व. श्री मोतीलाल
सतनामी उम्र 48 साल निवासी ग्राम नारायणपुर थाना बरगी
तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

1- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 92/अ-21/2015-16 में
की जा रही कार्यवाही एवं अंतरिम आदेश दि. 09/01/2017 (Annexure-1) से
व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत यह निगरानी
याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी लटोरीलाल धुर्वे पिता छोटेलाल धुर्वे उम्र
44 साल निवासी 26 ग्राम मुकनवारा, घाटपिपरिया तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम
जगुनियां प.ह.नं. 33/40 स.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं.
77 रकबा 0.320 हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री अयोध्या प्रसाद सतनामी पिता स्व.
श्री मोतीलाल सतनामी उम्र 48 साल निवासी ग्राम नारायणपुर थाना बरगी तहसील व जिला
जबलपुर (म.प्र.) को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र (Annexure-2) म.
प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समक्ष
प्रस्तुत किया गया था। आदेशिका दिनांक 04/05/2017 के अनुसार प्रकरण न्यायालय
कलेक्टर जबलपुर में दर्ज किया जाकर प्रारंभ किया गया है।

राजस्व मण्डल नि.प्र. ग्वालियर

१ ०

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 138/एक/2017

जिला-जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों ए अभिभाषक के हस्ताक्षर
14-2-17	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 92/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2017 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि ग्राम जमुनिया प.ह.न. 33/40 रा.नि.म. बरगी तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 77, रकवा 0.320 है0 भूमि अनावेदक क्रमांक 2 आयोध्या प्रसाद सतनामी पुत्र स्व. मोतीलाल सतनामी निवासी - नारायण पुर थाना वर्गी तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जो प्रकरण क्रमांक 92/अ-21/2015-16 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 09.01.2017 को पारित कर शीघ्र सुनवाई आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के</p>	





(3)

निगरानी 138/एक/2017

अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत् अवलोकन किया गया।



4- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के पश्चात् उसके पास 9.49 है० यानि 23 एकड़ 72 डिसमिल भूमि असिंचित शेष बचेगी। जिससे वह उपरोक्त भूमि की विधिवत् देखभाल कर कृषि कार्य करेगा एवं अपनी पुत्री का विवाह करेगा आवेदक अपने आवेदन पत्र में दर्शायी गयी भूमि को इसलिये भी विक्रय करना चाहता है क्योंकि उपरोक्त भूमि विक्रय किया जाना इसलिये आवश्यक है कि ग्राम में बची शेष भूमि को उन्नत बनाने एवं पारिवारिक आवश्यकताओं हेतु रूपयों की आवश्यकता है और इसके सिवाय अपनी भूमि मौजा जमुनिया की भूमि को बेचने के अलावा अपनी उक्त जरूरतों को पूरा करने का कोई साधन नहीं है। तथा उक्त भूमि से कोई लाभ व फायदा नहीं है। लागत के अनुपात में उपज नहीं हो पाती है, इसलिये उक्त जमीन को बेच देना उसके हित में है। इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। किन्तु कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार नहीं किया है, उपरोक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में प्रकरण में शीघ्र सुनवाई की जाकर भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर

K/10

से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र को बिना किसी कारण के निरस्त किया है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार होने से रह गया है। तथा अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जाकर प्रकरण को विलंबित किया गया है, जिससे आवेदक की ओर से प्रस्तुत विक्रय अनुमति आवेदन पत्र विचार किये जाने से रह गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये एवं आवेदक को भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति न्यायहित में दी जाये। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की गयी।

5- उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 09.01.2017 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण जब भूमि के विक्रय की अनुमति के संबंध में प्रस्तुत किया गया था कि तब ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुण दोषो पर विचार कर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। क्योंकि जब प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था। तब ऐसी स्थिति में प्रकरण में शीघ्र सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.01.2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

6- आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी





शेष कास्तकारी भूमि की उन्नति एवं ग्राम जमुनिया की भूमि कोई लाभ व फायदा नही होने से लागत के अनुपात में उपज नहीं हो पाने से आवेदक द्वारा उक्त भूमि को बेच देना उसके हित में होने से भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना बताया गया। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :-

1- आवेदक द्वारा विक्रय अनुमति आवेदन पत्र के साथ अनावेदक क्रमांक 2 अयोध्या प्रसाद सतनामी पुत्र स्व. मोतीलाल सतनामी का अनुबंध पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास कुल रकवा 9.49 है० यानि 23 एकड़ 72 डिसमिल भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह बताया गया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

3- आवेदक अभिभाषक के तर्कों के अनुसार आवेदित भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक की भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये



दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

7- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि कलेक्टर भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो कलेक्टर के पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक अर्जित जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गार्ड लाईन से अनावेदक क्रमांक 2 अयोध्या प्रसाद सतनामी पुत्र स्व मोतीलाल सतनामी निवासी ग्राम नारायण पुर थाना वर्गी तहसील व जिला जबलपुर के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गार्ड लाईन के मान से अधिक विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

8- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 92/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 09.01.


Kpa

(M)

(7)

निगरानी 138 ए.क. 2017

2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम जमुनिया प.ह.न. 33/40 रा.नि.म. बरगी तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 77 रकबा 0.320 है० भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।


सदस्य

R
1/10